(4)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक 02.02.2022

प्रकरण संख्या 14 / 2022

GCMS CASE NO-2022/14

1 रजिराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी कुम्भगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर अपीलांट

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ। रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता, अपीलांट
2. राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ रेस्पोडेंट

दिनांक :22.10.2024

–::निर्णय::–

यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के नोटिस दिनांक 07.10.2011 के विरूद्व पेश की गई है जिसके द्वारा अपीलांट रजिराम को रोही कुम्भगढ के ख.न. 24 के 10.00 वीघा भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए नाजायज काश्त करने पर धारा 91 एलआर एक्ट 1956 के तहत नोटिस जारी किया गया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 5 मियाद पर वहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने वहस कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा मुझ अपीलांट के विरूद्व नाजायज काश्त की कार्यवाही की सूचना देने पर दिनांक 31.01.2022 को नकल प्राप्त करने पर जैर अपील नोटिस की जानकारी हुई। अपीलांट अनपढ काश्तकार है व कानूनी पेचिदगियों का ज्ञान नही है। अपीलांट द्वारा जानवूझ कर देरी नहीं की गई है। अतः अपील में देरी हुई है को माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

दौराने वहस प्रार्थना पत्र राजपैरोकार ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा जानवूझकर अपील पेश करने में देरी की गई है। अपीलांट को निर्णय की पूर्ण जानकारी थी, आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस जारी किए गए थे, जो विधिवत रूप से अपीलांट को तामील हो चुका था। इस प्रकार अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पूर्ण जानकारी थी। देरी माफी हेतु कोई ठोस सबूत पेश नहीं किये है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 5 मियाद खारिज करते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

प्रार्थना पत्र पर वहस उभय पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने देरी का जो कारण प्रस्तुत किया है, वह संतोषप्रद है। प्रकरण का फैसला तकनीकी विन्दुओ पर ना किया जाकर गुणावगुण पर करना हम उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाता है।

तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर वहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत ने नैसंर्गिक न्याय व निर्धारित प्रकिया की पालना नही की है। 50 गुणा तावान का नोटिस जारी किया गया जो अपीलांट के हितो पर कुठाराधात है अपीलांट की रोही कुम्भगढ के खसरा संख्या 24 के 10 वीघा भूमि पर लगभग 30 वर्षो से कब्जा काश्त है अपीलांट पुराने कब्जे के आधार पर आवंटन नियम 21 में नियमन का पात्र है। अपीलांट सदभावी काश्तकार है। तथा मुख्य पेशा खेती है। उक्त भूमि पर अपीलांट का लगभग 30 वर्षो से कब्जा काश्त है। कब्जे के आधार पर अपीलांट नियमन आवंटन का पात्र है। जिसकी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:37:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली समक्ष न्यायालय में जैरकार है। जिसकी अनदेखी करते हुए जैर अपील आदेश पारित किये गये जो लायक निरस्ती योग्य है। अपीलांट को पहले कभी बेदखल नही किया गया । ऐसे मे उन्हे पाश्चावर्ती अतिकमी मानकर भी भूल की है। तीनों दण्ड एक साथ कानूनन नही दिये जा सकते। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 4(16) कोलो/99 दिनांक 26.11.2004 राजस्थान उपनिवेशन (आईजीएनपी आवंटन एवं विकय) नियम 1975 में नियम 21 ए प्रतिस्थापित कर प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 1.1.1996 से पूर्व लगातार 5 वर्षो से काविज है तो उसे उस भूमि से बेदखल न कर भूमि पर काबिज रहने दिया जावे। तत्पश्चात राज्य सरकार ने अधिसूचना स0 एफ 4 (16) कोलो/99 जी.एस0आर 89 दिनांक 11.01.2008 द्वारा प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 1.1.2000 से 5 वर्षो तक अनाधिकृत रूप से काबिज है तो उसे बेदखल ना किया जावे तथा इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि दिनांक 1.1. 2000 से 7 वर्षो में से किन्ही 5 वर्षो तक भी कब्जा है तो उस व्यक्ति को डीएलसी दरों पर आवंटन कर दिया जावे। उसे बेदखल ना किया जावे व आवंटन नियम 1975 के उपनियम 21–ए में डीएलसी से पूर्ण राशि जमा करवाकर अतिकमी को आवंटन करने का प्रावधान है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट रजिराम द्वारा राजकीय भूमि पर अतिकमण कर नाजायज काश्त की गई है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उसका हक/हकूक सावित हो सके अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट अतिकमी सावित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 07.10.2011 यथावत रखा जावे।

गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष पर मनन किय गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अतिकमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अपीलांट को नोटिस अन्तर्गत धारा 91 विधिवत रूप से जारी किया गया व अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। नोटिस में अपीलांटस को अवसर दिया गया कि वें अतिकमित भूमि खाली कर देवें। बाद नोटिस तामील होने के उपरांत भी अतिकमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिकमण नहीं हटाया।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 91 एल आर एक्ट 1956 संक्षिप्त विचारण प्रकिया है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पारित आदेश नैंसर्गिक न्याय सिद्धांतो व स्थापित विधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन में न होने से आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपील सारहीन होने से अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ प्रेषित किया जावे। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22 .10.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:37:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner